फर्द अहकाम

लाला बनाम प्रेम देवी

न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 07/2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
30/08/24	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता एवं अप्रार्थी सं. 1,2,5,6 के अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्ता की प्रा.पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम व प्रा. पत्र आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी पर बहस पूर्व में सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 6 के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्रों में वर्णित तथ्यो को दोहराया साथ ही प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मिन/प्रतिवादी/प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना उनकी अनुपस्थिति में पारित की गई प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 12.06.2018 को अपास्त किया जाकर मिन प्रार्थी/प्रतिवादी को पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान कर उसको जवाबदेही का अवसर प्रदान कर प्रकरण का निस्तारण पुनः गुणावगुण के आधार पर किये जाने के आदेश प्रदान करने की प्रार्थना की। अप्रार्थी सं. 1/वादीया के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के जवाबी बहस मे जवाब प्रार्थना पत्रों मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुऐ अन्त मे कथन किया कि प्रतिवादी सं.	

[illegible signature]

फर्द अहकाम

ज्वाला बनाम प्रेम देवी

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 07/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		6/ प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी मे वर्णित प्रावधानो के विपरित पेश किया गया है एवं मयाद बाहर पेश किया गया है इस कारण माननीय न्यायालय द्वारा खारिज किये जाने योग्य है एवं आदेश 9 नियम 13 सी-पी-सी का प्रार्थना पत्र पेश करने की मयाद निर्णय व डिक्री पारित होने से 30 दिवस की है अतः प्रतिवादी सं. 6/ प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे के ~~फरमाया~~ खारिज फरमाया जावे। उभयपक्ष विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने एवं दौराने बहस उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा जाहिर तथ्यों पर मनन करने के उपरान्त हम पाते है कि प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 6 को रजिस्टर्ड नोटिस तामील हेतु जारी किये गये थे। प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 6 की रजिस्टर्ड नोटिस भेजे एक माह से अधिक का समय होने पर राजस्व लोक अदालत 2018 मे लोक अदालत की भावना को ध्यान मे रखते हुवे दिनांक 12/06/2018 को [illegible]

फर्द आदेश

न्यायालय ... मौजा ...

न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

मुकदमा नम्बर : 07/2014

टिप्पणी	आदेश जिसपर काम हो	टिप्पणी
	प्रतिवादी सं. 6 की समयक तामील कराते हुये वादीगण का वाद प्रारम्भिक डिक्री किया गया है। मुलवाद की अवलोकन से राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 में पक्षकारान की तामिल हेतु नोटिस जारी किये गये जो तामिल कुनिन्दा द्वारा तामील के वक्त प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 6 के हस्ताक्षर नही करवाये गये है केवल मात्र प्रतिवादी सं. 1 के ही हस्ताक्षर है जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 6 की पर्याप्त तामिल नही हुई है। न्यायालय द्वारा दिनांक 12/06/2018 को जारी प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री मे तहसीलदार बस्सी को विवादित भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स व कब्जे काश्त को ध्यान मे रखते हुऐ के आधार पर उभयपक्षो की उपस्थिति मे विभाजन करने हेतु निर्देशित किया गया था परन्तु तहसीलदार बस्सी ने विभाजन प्रस्ताव मात्र वादी की उपस्थिति मे वादीया के ही विभाजन प्रस्ताव भिजवाये गये है जिससे भी	

फर्द अहकाम

बनाम

न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्ती

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी सं. ⑥ को सूचना नहीं हुई है पर्याप्त कारण मानते हुऐ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी को प्रस्तुत करने मे हुई देरी को क्षमा किया जाता है एवं चूँकि न्यायालय द्वारा दिनांक 12/06/2018 को पारित प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स व कब्जे काश्त को ध्यान मे रखते हुऐ के आधार पर पारित की गई है। वादिया द्वारा विवादित भूमि का विभाजन करने हेतु विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया है जिसमे अंतोगत्वा विभाजन किया जाना है एवं प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री से पक्षकारो पर कोई प्रतिकुल प्रभाव उनके अधिकारो पर नही पडता ऐसी स्थिति मे प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 6 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित नही समझते है। अतः प्रार्थी/प्रतिवादी सं. ⑥ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी अस्वीकार

(हस्ताक्षर)

फर्द अहकाम

लाला बनाम प्रेमदेवी

न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 07/2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	किया जाकर खारिज किया जाकर उदारता का रूख अपनाते हुऐ प्रार्थी। प्रतिवादी सं. ⑥ को इसके आगे की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ शामिल हो। (हस्ताक्षर)	